

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

देवीसिंह बनाम ईश्वरसिंह (कारा)

मुकदमा ..... प्रमाण 111-1-6 ..... नं० 31 ..... सन 2023

हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज

नम्वर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

28  
साद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सामान नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 28.3.23 .....को  
पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

28/3  
पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के  
सामान बाद बागिल होकर प्राप्त हुए जिनसे शांतिपूर्वक  
बाये । विपक्षीगण को जितनी गर्तला कद-कद कर शांति  
दिलानी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इसके विकल्प एक  
तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, वकील  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम  
से लिया जाकर शांतिपूर्वक किया गया, पत्रावली फ़राम शुमार  
होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहतासिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 31/23 प्रा० पत्र

1- श्री देवीसिंह स/० श्री लालसिंह रावणा राजपूत गिरासी - अवलपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनान

1- श्री लक्ष्मण सिंह स/० श्री लालसिंह रावणा राजपूत गिरासी - अवलपुरा तहसील-माण्डल  
2- श्री ईश्वर सिंह स/० श्री लालसिंह रावणा राजपूत गिरासी - अवलपुरा तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28.03.23

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अवलपुरा पटवार हल्का खगौर II तहसील माण्डल में उसके खाते /सयुक्त खाते की आराजी नं. 184/5, 189, 205, 206/1, 207/1, 208/1 कुल कित्ता 06 रकबा 0.7461 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतवायिबा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसने प्रार्थी अपने खाते /सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत कारत की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अवलपुरा पटवार हल्का खगौर II तहसील माण्डल में उसके खाते /सयुक्त खाते की आराजी नं. 184/5, 189, 205, 206/1, 207/1, 208/1 कुल कित्ता 06 रकबा 0.7461 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा को पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को 500/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरानु की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावे। फसल खंडी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा